

(1) प्रपत्र 'क'

नियम एवं शर्तें

निविदा हेतु निविदादाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होंगे :-

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड, निर्धारित प्रपत्र में तथा वित्तीय बिड-बी0ओ0क्यू0 (बिल ऑफ क्वान्टिटी) में प्रस्तुत करनी होगी । तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है । वित्तीय बिड में भोजन/सामग्री की दरें तथा कर (जी0एस0टी0)स्पष्ट प्रदर्शित किया जाना होगा । निविदा स्वीकृति के उपरान्त करों में होने वाली वृद्धि भी निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
2. समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह घोषित की जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी । यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि को वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय की ऑनलाइन घोषण की जायेगी, जिनकी तकनीकी बिड अर्ह नहीं पायी जायेगी, उन्हें उक्तवत् सूचित नहीं किया जायेगा और न ही निविदादाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा तथा सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर इसकी मांग नहीं करेगा ।
3. निविदा प्रपत्र में समस्त सूचनाएँ यथास्थान तथा स्पष्ट लेख में उल्लेखित एवं कमबद्ध ' अपलोड ' की जानी है आवेदन पत्र में जो बिन्दु फार्म से सम्बन्धित न हो, उसे काट दिया जायें तथा खाली न छोड़ा जाये ।
4. निविदा आवेदन पत्र 'इन्टरनेट' के माध्यम से 'डाउनलोड' किया जाना तथा निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/- तथा जी0एस0टी0 @ 12 प्रतिशत अर्थात कुल रूपये- 224/- निर्धारित है। जिसे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तैयार कर सीधे संस्थान को उपलब्ध कराया जाना है ।
5. **धरोहर राशि (Earnest Money)**-रूपये 5000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) की धरोहर राशि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड पक्ष में धरोहर बैंक ड्राफ्ट , एफ0डी0आर0 अथवा बैंक गारंटी, जो देहरादून में देय हो , के रूप में जमा करना होगा । धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात वापस की जाएगी अथवा जमानत धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी । सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक अनुबंध निष्पादित / अनुबंध पूर्ण होने के पश्चात वापस की जाएगी अथवा जमानत धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी । सफल निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर राजकोष में जमा कर ली जाएगी ।
6. **जमानत राशि (Security Money)**-सफल निविदादाता को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसके लिए स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर रूपए 35,000 (रूपए पैंतीस हजार मात्र) की जमानत राशि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के नाम बंधक रखे गए एफ0डी0अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना

[Signature]



[Signature]

Mothrowala Road, Ajabpur chowk Dehradun 248001(U.K.), Tel-0135-3595208

Email- bsguttarakhandstatehq@gmail.com, bsguttarakhand@gmail.com, Website- www.bsguttarakhand.org

(2)

- आवश्यक होगा जमानत राशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि पश्चात कम से कम दो माह होनी चाहिए । जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जाएगी ।
7. **तकनीकी बिड**— तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्नवत् आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र 'अपलोड' कर संलग्न (attach) करने होंगे । समस्त अभिलेख / प्रमाण पत्रों को 'अपलोड' नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी ।
- 7(1)—निविदादाताओं फर्म का बिक्रीकर / सेवाकर विभाग से पंजीकृत प्रमाण पत्र ।
- 7(2)— फर्म का आयकर पंजीकरण (PAN) ।
- 7(3)— फर्म का वैध जी0एस0टी0 नं ।
- 7(4)—वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक किन्हीं 02 वर्षों का राजकीय विभागों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं अथवा स्का0गा0 शिविरों में सन्तोष जनक भोजनापूर्ति किये जाने का प्रमाण पत्र ।
- 7(5)—धरोहर राशि की प्रति ।
- 7(6)—स्वास्थ्य विभाग/नगरनिगम /अधिकृत संस्था द्वारा जारी भोजन बनाने का वैध लाइसेंस/ प्रमाण पत्र ।
- 7(7)— निविदादाता का किसी राजकीय विभाग/संस्थान से विधिक विवाद नहीं होना चाहिए तथा उसे किसी सरकारी /अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो, इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र ।
- 7(8)— उत्तराखण्ड के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र ।
8. तकनीकी बिड से सम्बन्धित **निविदा प्रपत्र शुल्क** तथा **अर्नेस्ट मनी** जो भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के नाम देय हो, को पृथक-पृथक लिफाफों में सीलड कर संस्थान को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा सीधे उपलब्ध कराया जा सकता है । इनके निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर ई0-निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
9. ई0-निविदा में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि , निविदा के ऑन-लाइन न खुलने , डाउनलोड न होने आदि की स्थिति में उस निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
10. **वित्तीय बिड**—वित्तीय बिड अर्थात बी0ओ0क्यू0 मे प्रति सामग्री /प्रतिव्यक्ति (जहां जो लागू हो)तथा कर (जी0एस0टी0) की दरें अलग-अलग कॉलम में दी जानी आवश्यक हैं । निविदादाताओं के द्वारा कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा अर्थात सभी सामग्री तथा करों को दरें भरी जानी अनिवार्य है । कॉलम खाली छोड़े जाने की स्थिति में सम्बन्धित निविदा विचारोंपरान्त निरस्त की जा सकती है । जिस भोजन/सामग्री की दरें प्राप्त की जा रही है उन सभी के लिए कयादेश दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी । समिति को 'नेगोशिएसन' का अधिकार होगा ।
11. अधिकतम मूल्य **CGST** एवं **SGST** सहित आदि करों सहित शिविर व कार्यक्रमों में दिये जाने वाले भोजन का विवरण प्रपत्र 'क' में किया गया । जिनका मूल्य सभी करों को मिलाते हुए निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए ।

1—व्यस्क

— अधिकतम 150 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन

2— 18 वर्ष से कम आयु हेतु

— अधिकतम 135 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन

Mothrowala



M. S. Sin

Mothrowala Road, Ajabpur chowk Dehradun 248001(U.K.), Tel-0135-3595208

Email- bsguttarakhandstatehq@gmail.com, bsguttarakhand@gmail.com, Website- www.bsguttarakhand.org

(3)

12. **आपूर्ति**— कार्यादेश जारी होने की तिथि से समय-समय पर मांग के अनुसार कार्यक्रम व शिविरों में भोजन आपूर्ति की जानी होगी। अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति न करने का अथवा निम्न गुणवत्ता का भोजनादि प्रदत्त किए जाने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून का एक तरफ अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. **भुगतान**— बिल के भुगतान से करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी। बिल भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा ई0एफ0टी (इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर)/ई0 पेमेन्ट/चेक एवं शिविरों में कन्टीजैन ली के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु सफल निविदादाता को बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, आई0एफ0एस0सी0कोड तथा इलेक्ट्रानिक पेमेंट हेतु हस्ताक्षरित अधिकार पत्र का विवरण कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
14. **कार्यकाल**— कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक (अनुबन्ध के अनुसार कार्य की संतुष्टि होने की दशा में) तथा संतोषजनक कार्य होने की दशा में अगले वर्ष हेतु बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
15. समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का परीक्षण भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के शिविर कार्यक्रम /प्रादेशिक मुख्यालय के प्रतिनिधि निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा। अपेक्षानुसार गुणवत्ता न पाये जाने पर समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रथम बार की चेतावनी पर कम से कम 15 प्रतिशत तथा द्वितीय पर 20 प्रतिशत की दर से बिल में कटौती की जाएगी। दो बार की चेतावनी के पश्चात भी गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज करने का पूर्ण अधिकार प्रादेशिक मुख्यालय, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून को होगा।
16. भोजन तैयार करने में ब्रांडेड एवं उच्च गुणवत्ता की दालें, चावल,आटा, खाद्य तैल एवं नमक तथा एगमार्क मसालों का उपयोग किया जाना होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं को चावल एवं दालों आदि के नमूने (सैम्पल) प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यकता पडने पर इनकी सूची प्रादेशिक मुख्यालय/ प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।
17. वित्तीय बिड में प्राप्त भोजनादि के दरों की युक्तियुक्तता का बाजार मूल्य की युक्तता, प्रचलित बाजार दर, पूर्व कय दर एवं अन्य इनपुट कॉस्ट तथा यथार्थ मूल्य (intrinsic value) तथा शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण /कार्यशालाएं आदि के अनुरूप ध्यान में रखकर परीक्षण किया जाएगा। इस मापदंड पर उपयुक्त न पाए जाने पर न्यूनतम दर (एल0-1) प्रस्तुत करने वाली निविदादाता फर्म को भी निविदा समिति के विचारोपरान्त कार्य प्रदत्त (Award) नहीं किया जायेगा।
18. परिसर में कैंटीन संचालन हेतु किचन एवं प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका प्रतिमाह किराया रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) प्रतिमाह संचालनकर्ता को कार्यालय में जमा करना होगा। कैंटीन की विद्युत आदि के बिल का भुगतान भी संचालनकर्ता द्वारा सब-मीटर की रीडिंग के अनुसार नियमानुसार जमा किया जायेगा। समयानुसार भुगतान न किये जाने पर यह राशि जमानत राशि से काट दी जाएगी तथा अनुबन्ध समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
19. कैंटीन परिसर/ डायनिंग हॉल/किचन में निविदा प्रक्रिया से चयनित कैंटीन संचालनकर्ता को नियमानुसार अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी।

Naval



Naval

(4)

20. कान्ट्रेक्टर को श्रम कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के कैंटीन स्टॉफ को ही कार्य पर रखना होगा, सफल निविदादाता को कैंटीन स्टाफ का सत्यापन प्रमाण, पहचान पत्र तथा देहरादून के राजकीय चिकित्सक द्वारा उसके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र (Medical certificate) उपलब्ध कराना होगा ।
21. इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्य में सरकार द्वारा सभी उपाय व नियमों का पालन करने का उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा ।
22. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी । नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
23. चयनित निविदादाता द्वारा यदि निविदा के नियम, शर्तों/अनुबन्ध के अनुरूप कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी /सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
24. चयनित निविदादाता को अनुबन्ध हेतु एक सौ रूपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प, जो टिकट के रूप में न हो, प्रादेशिक मुख्यालय/कैम्पिंग सैन्टर को उपलब्ध कराना होगा ।
25. सफल निविदादाताओं कैंटीन में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों के एल्कोहल, धूम्रपान तथा अन्य प्रकार का नशा न किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । कर्मचारियों के द्वारा उक्त प्रकार की आदत होने की शिकायत की जांचोपरान्त अनुबन्ध निरस्त किया जाएगा । सफल निविदादाता द्वारा कैंटीन की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी तथा कूड़े का नियमानुसार निस्तारण संचालनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा ।
26. सफल निविदादाता फर्म कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का परिचय पत्र व फोटोग्राफ प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर को उपलब्ध कराये । निविदादाता द्वारा कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का स्वच्छ वेशभूषा (यूनीफार्म), कैंटीन की स्वच्छता तथा संतुलित व्यवहार सुनिश्चित करना होगा ।
27. बिना कारण बताए नियंत्रक सहायक प्रशासनिक अधिकारी-प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
28. निविदा के परिप्रेक्ष्य में विवाद उत्पन्न होने की दशा में प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष निर्णयार्थ (Arbitration) प्रस्तुत किया जायेगा । (Arbitration) का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
29. इन नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल देहरादून का होगा ।
30. जम्बूरी स्थल पर सम्पूर्ण खाद्य सामान तथा भोजन बनाने वाले सम्पूर्ण उपकरण की देखभाल, रख-रखाव का उत्तरदायित्व निविदा दाता का होगा ।
31. निविदा दाता द्वारा दिये गये दर सभी (टैक्स) करों सहित होने चाहिये ।

Amrit



Amrit

(5)

नोट- 1- प्रपत्र 'ख' तकनीकी बिड वेबसाइड के माध्यम से भरकर सबमिट किया जायेगा तथा भरे हुये प्रपत्र 'ख' फार्म का एक प्रिन्ट आउट लेकर सील बन्द लिफाफे में बिन्दु 8 के अनुसार प्रादेशिक मुख्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2- प्रपत्र 'घ' वित्तीय बिड केवल प्रिन्ट आउट लेकर सील बन्द लिफाफे में मोटे अक्षरों में वित्तीय बिड लिखकर दिनांक 12 दिसम्बर 2022 अपराहन 12.00 बजे तक प्रादेशिक मुख्यालय उपलब्ध कराना होगा।

बी0एस0 रावत
सहा0प्रशासनिक अधिकारी,
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड







Mothrowala Road, Ajabpur chowk Dehradun 248001(U.K.), Tel-0135-3595208

Email- bsguttarakhandstatehq@gmail.com, bsguttarakhand@gmail.com, Website- www.bsguttarakhand.org

(8)

प्रपत्र 'ग'

भोजन विवरण

व्यस्क हेतु - बैड टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी विद स्नैक्स एवं डीनर ।

18 वर्ष से कम आयु हेतु - ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी विद स्नैक्स एवं डीनर ।

प्रतिदिन विवरण-

बैड टी- समान्य/लेमन ग्रास ।

ब्रेकफास्ट-पोहा/उपमा/इडली/हल्वा,चना/आलू पूरी/ परांठा /ब्रेड पकोडा एवं
समान्य चाय ।

लंच-दाल, चावल,रोटी, एक सब्जी, एक मिठाई, पापड/सालाद, रायता, आदि ।

इवनिंग टी विद स्नैक्स -समान्य चाय, बिस्किट/ मुरमूरे/नमकीन आदि ।

डिनर - दाल, चावल,रोटी, एक सब्जी, एक मिठाई, पापड/सालाद, रायता, आदि ।

1-शिविर संचालक से वार्ता कर दोनों की सहमति से मीनू में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2-विशेष कार्यक्रम /शिविर में विशेष भोज के लिए सहा0प्रशासनिक अधिकारी से वार्ताकर दोनों पक्ष को सहमति पर अतिरिक्त मूल्यों पे उन्नत भोजन की व्यवस्था की जा सकती है ।

3-शिविर /कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम् 10 होगी ।

बी0एस0 रावत
सहा0प्रशासनिक अधिकारी,
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड







Mothrowala Road, Ajabpur chowk Dehradun 248001(U.K.), Tel-0135-3595208

Email- bsguttarakhandstatehq@gmail.com, bsguttarakhand@gmail.com, Website- www.bsguttarakhand.org